

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

लीला रेगड़

बनाम

देमा रेगड़

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 614/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.11-21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती लीला रेगड़</p> <p>पिता श्री अमरचन्द रेगड़</p> <p>निवासी- घोसुड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सतपुड़ा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 66</p> <p>0.83</p> <p>कुल कीता 01 कुल रकबा 0.8300 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सतपुड़ा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 66 0.83</p> <p>कुल कीता 01 रकबा 0.83 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रूपये अक्षरे 10 हजार प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बी.के.के.) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>